न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक),नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)

वाद पत्र संख्याः–117/2022

जी.सी.एम.एस. नं.:– 2022/108

1. महेन्द्रसिंह उम्र 40 साल पुत्र श्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी रामसिंह की ढाणी तहसील पाटन, जिला सीकर।

–वादी–

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पाटन, जिला सीकर
2. रावतसिंह पुत्र केहरसिंह जाति राजपूत निवासी रामसिंह की ढाणी तहसील पाटन जिला सीकर।

–प्रतिवादीगण–

उपस्थितिः– श्री रामजीलाल गुर्जर एडवोकेट, नीमकाथाना। –वादी

वाद पत्र घोषणा

निर्णय

दिनांकः– 15/04/2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि भूमि ख.नं. 41 रकबा 0.27 हैक्ट. ख.नं. 44 रकबा 0.20 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 हैक्ट. ख.नं. 31 रकबा 0.13 हैक्ट. राजस्व ग्राम रामसिंह की ढाणी पटवार हल्का डूंगा की नांगल तहसील पाटन जिला सीकर में स्थित है। उक्त भूमियों के पुराने ख.नं. 22/2 व 25/2 कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 हैक्ट. सम्पूर्ण तथा ख.नं. 20 रकबा 0.13 हैक्ट. में हिस्सा 76/101 की खातेदारी वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज चली आ रही है।

वाद पत्र में वर्णित पुराने ख.नं. 22/2 व 25/2 कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 हैक्ट. सम्पूर्ण तथा ख.नं. 20 रकबा 0.13 हैक्ट. में हिस्सा 76/101 भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 31.01.1994 को वादी के दादा नारायण सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी रामसिंह को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, विक्रय कर दी गयी थी। मौके पर केता नारायण सिंह का काबिज करा दिया गया था। कय शुदा भूमि पर केता निरन्तर रूप से काबिज [illegible] करता रहा है।

केता नारायण सिंह द्वारा विक्रय पत्र की [illegible] तत्कालीन पटवारी हल्का को राजस्व अभिलेख में केता के नाम खातेदारी दर्ज करने हेतु उपलब्ध करा [illegible]यी थी। पटवारी हल्का खातेदारी दर्ज करने का [illegible]श्वासन देता रहा पर[illegible]री

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:20:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

हल्का द्वारा विक्रय विलेख का नामान्तकरण जानबूझकर व लापरवाही पूर्वक क्रेता के नाम से खातेदारी दर्ज नहीं की गयी। इस वजह से उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज चली आ रही है। क्रेता ग्रामीण पृष्ठ भूमि का निवासी कृषि पेशा व्यक्ति रहा है राजस्व रिकार्ड की कोई जानकारी नहीं रही। क्रय शुदा भूमियों पर कभी कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ । क्रय शुदा भूमि पर नारायण सिंह एवं उनके वारिसान काबिज चले आ रहे है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि भूमि ख.नं. 41 रकबा 0.27 हैक्ट. ख.नं. 44 रकबा 0.20 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 हैक्ट. ख.नं. 31 रकबा 0.13 हैक्ट. राजस्व ग्राम रामसिंह की ढाणी पटवार हल्का डूंगा की नांगल तहसील पाटन जिला सीकर में स्थित है। उक्त भूमियों के पुराने ख.नं. 22/2 व 25/2 कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 हैक्ट. सम्पूर्ण तथा ख.नं. 20 रकबा 0.13 हैक्ट. में हिस्सा 76/101 की खातेदारी मृतक नारायण सिंह (क्रेता) के वारिसान के नाम घोषणा कराने का अधिकारी है।

वादी द्वारा वाद के समर्थन में वर्तमान जमाबंदी तथा विक्रय लेख दिनांक 31.01.1994 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी है।

उक्त तथ्यों के साथ दावा वादी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। वास्तु सुनवाई सम्मन विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1 बाद तामील अनुपस्थित रहे है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उपस्थित होकर वादी के वाद बिन्दुओं को स्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया गया है।

विज्ञ अधिवक्ता वादी को सुना गया। अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि खातेदार रावत सिंह जो प्रतिवादी नं. 2 है के द्वारा नारायण सिंह पुत्र गणपत सिंह को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के भूमि विक्रय कर कब्जा क्रेता को संभला दिया गया था। प्रतिवादी नं. 2 द्वारा वादी के वाद बिन्दुओं को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया गया है। मुताबिक विक्रय पत्र के दावा वादी बाबत घोषणा स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता वादी को ध्यान पूर्वक सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अधोपान्त अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2075–78 ग्राम ढाणी रामसिंह में भूमि ख.नं. 41 एवं 44 सम्पूर्ण तथा ख.नं. 31 में 76/101 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज होना पायी जाती है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के वर्तमान ख. नं. 31, 41, 44 पुराने ख.नं. 20, 22/2, 25/2 से बनना पाया जाता है। खातेदार जो वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 2.रावतसिंह पुत्र केहरसिंह जाति राजपूत निवासी रामसिंह की ढाणी तहसील [illegible] जिला सीकर है के द्वारा दिनांक 31.1.1994 को नारायण सिंह पुत्र गणपत सिंह राजपूत निवासी ढाणी रामसिह तहसील नीमकाथाना जिला सीकर को पुराने ख.नं. 22/2 रकबा 0.27 हैक्ट. ख.नं. 25/2 रकबा 0.20 हैक्ट. सम्पूर्ण तथा ख.नं. 20 रकबा 0.13 हैक्ट. में से 0.04 हैक्ट. भूमि का विक्रय किया गया था । विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता नारायण सिंह पुत्र गणपतसिंह राजपूत के वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज कर दी जाने बाबत स्वयं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:20:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

तत्कालीन विक्रेता प्रतिवादी संख्या 2 रावतसिंह पुत्र केहरसिंह जाति राजपूत द्वारा जवाब प्रस्तुत कर स्वीकार किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

राजस्व ग्राम ढाणी रामसिंह पटवार हल्का डूंगा की नांगल तहसील पाटन के वर्तमान **खाता संख्या 129 में दर्ज ख.नं. 41, 44 कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 हैक्ट. सम्पूर्ण तथा खाता संख्या 88 में ख.नं. 31 रकबा 0.13 हैक्ट. में से 0.04 हे. का (मृतक) केता नारायण सिंह पुत्र गणपत सिंह राजपूत नि. ढाणी रामसिंह तहसील पाटन जिला सीकर के विधिक वारिसान के साथ वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । उक्त खसरा नम्बरान से खातेदार रावतसिंह पुत्र केहर सिंह राजपूत का नाम हजफ किया जाता है।** डिक्री मूर्तीब हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
सहायक कलक्टर(फास्ट्रैक)
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:20:04 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) मुकाम नीमकाथाना

व इजलास **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) :सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) नीमकाथाना**

महेन्द्र सिंह **बनाम** **तहसीलदार पाटन वगै0**

वाद बाबत घोषणा

मुकदमा नं. 117 सन् 2022

जी.सी.एम.एस. नं.– 2022/108

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक), नीमकाथाना व हाजरी श्री रामजीलाल गुर्जर एडवोकट वादी मिनजानिब मुद्दई व एडवोकेट श्री राजेन्द्र लूणिवाल प्रतिवादी – मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **राजस्व ग्राम ढाणी रामसिंह पटवार हल्का डूंगा की नांगल तहसील पाटन के वर्तमान खाता संख्या 129 में दर्ज ख.नं. 41, 44 कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 हैक्ट. सम्पूर्ण तथा खाता संख्या 88 में ख.नं. 31 रकबा 0.13 हैक्ट. में से 0.04 हैक्ट. का (मृतक) केता नारायण सिंह पुत्र गणपत सिंह राजपूत नि. ढाणी रामसिंह तहसील पाटन जिला सीकर के विधिक वारिसान के साथ वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । उक्त खसरा नम्बरान से खातेदार रावतसिंह पुत्र केहर सिंह राजपूत का नाम हजफ किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों।** ....×..........बाबत..........×.......... निज..........×..........मुबलिग..........×..........फीसदी सलाना खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह..........×..........को अदा करें। आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..........×..........आज दिनांक **15** माह **04** सन् **2025** को जारी की बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक गई।

दस्तखत

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)

नीमकाथाना

मुहर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मिजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav

Date: 2026.01.12 10:20:04 IST

Reason: SelfAttested